



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2437]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938

No. 2437]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2016

आदेश

का.आ. 3161(अ).— औषध विभाग द्वारा जारी पुनर्विलोकन आदेश सं. 31015/63/2016-पीआई-I दिनांक 19.09.2016 पर दिये गये आदेश में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु का.आ. 2210 (अ) दिनांक 24.06.2016 को तत्काल प्रभाव से अपास्त करती है।

जैसा कि, औषध विभाग के दिनांक 4.10.2016 के आदेश ने स्पष्ट किया है कि जो कम्पनियों का.आ. 2210 (अ) दिनांक 24.06.2016 और का.आ. 2578 (अ) दिनांक 01.08.2016 के अन्तर्गत अपने उत्पादों को व्यापक विशेषताओं के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष प्रदर्शित कर चुकी हैं, उनको अपने उत्पादों की व्यापक विशेषताओं को दोबारा से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। उनके उत्पाद का.आ. 1993 (अ) दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत "नॉन-पीवीसी" के समकक्ष माना जाएगा।

[कां.सं./169/37/2016/वि/फा. सं० 8(37)/2016/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)**

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

New Delhi, the 6th October, 2016**ORDER**

S.O. 3161(E).— In implementation of the Review order 31015/63/2016-PI.I dated 19.09.2016 passed by the Department of Pharmaceuticals, S.O. No. 2210(E) dated 24.06.2016 is set aside with immediate effect.

Further, as clarified by the Department of Pharmaceuticals vide order dated 4.10.2016, the companies that have already demonstrated their special features under S.O. 2210(E) dated 24.6.2016 and S.O. 2578(E) dated 1.8.2016, are not required to demonstrate their product's special feature again before the NPPA. Their products shall be treated as equivalent to "Non-PVC" category under S.O. 1993(E), dated 03rd June, 2016.

[PN/169/37/2016/F/F. No. 8(37)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director